Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था

(भाग-2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: RJPM10

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

RAS DLP विषय सूची (Contents)

11. राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था **5-60**

11.1 राजकोषीय नीति : अर्थ 5

11.2 बजट व्यवस्था 6

11.3 बजट 2018-19 16

11.4 राजकोषीय दुष्चक्र 23

11.5 कराधान 28

11.6 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 33

11.7 वित्त आयोग 54

12. विदेशी व्यापार **61-111**

12.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय 61

12.2 विदेशी व्यापार की संरचना 63

12.3 निर्यात संवर्द्धन 66

12.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते 69

12.5 विदेश व्यापार नीति, 2015–20 74

12.6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 76

12.7 वैश्विक परिदृश्य में भारत 96

13. भुगतान संतुलन **112-132**

13.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा 112

13.2 भुगतान शेष प्रबंधन 118

13.3 रुपए की परिवर्तनीयता 121

13.4 विदेशी निवेश 124

13.5 विदेशी पूंजी का नियमन 128

14. राजस्थान अर्थव्यवस्था : प्राथमिक क्षेत्र **133-155**

14.1 कृषि 133

14.2 पशुपालन 141

14.3 वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना 144

14.4 2018-19 के बजट में कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान 146

14.5 वानिकी 147

14.6 सहकारिता 147

14.7 खान एवं खनिज 150

15. राजस्थान अर्थव्यवस्था: द्वितीयक क्षेत्र **156-186**
15.1 उद्योग 156
15.2 आधारभूत ढाँचागत विकास 166
15.3 सार्वजनिक-निजी सहभागिता 174
15.4 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ 177

16. राजस्थान अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास **187-206**
16.1 शिक्षा 187
16.2 परिवार कल्याण 190
16.3 जलापूर्ति 193
16.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 193
16.5 बाल अधिकारिता 195
16.6 बैंकिंग 196
16.7 ग्रामीण विकास 198
16.8 नगर नियोजन विभाग 203

17. राजस्थान बजट 2018-19 : विश्लेषण **207-223**

18. केंद्र व राजस्थान सरकार की योजनाएँ **224-266**
18.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ 224
18.2 राजस्थान सरकार की योजनाएँ 238

19. लेखांकन **267-276**
19.1 लेखांकन का अर्थ 267
19.2 लेखांकन के प्रकार या शाखाएँ 268
19.3 लेखांकन की प्रकृति 269
19.4 लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्त्व 271
19.5 लेखांकन अवधारणाएँ 272
19.6 प्रशासन में उपयोगिता 273

अध्याय
11

राजकोषीय नीति एवं बजट व्यवस्था (Fiscal Policy and Budget System)

अर्थशास्त्री कींस की पुस्तक **द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड मनी** में प्रतिपादित विचारों में एक विचार यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोज़गार को स्थिर करने के लिये करना चाहिये। कींस के अनुसार सरकार को करों तथा व्यय में परिवर्तनों के माध्यम से राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिये।

11.1 राजकोषीय नीति : अर्थ *(Fiscal policy : Meaning)*

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

भारत की राजकोषीय नीति *(Fiscal policy of India)*

भारत की राजकोषीय नीति के वृहद् उद्देश्यों के अंतर्गत संतुलित एवं तीव्र विकास, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना इत्यादि शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्न राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं–

1. ग्रामीण आधार संरचना पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना ताकि कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।
2. पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी रखना।
4. राजकोषीय घाटे को निकट भविष्य में यथासंभव शून्य करना।
5. राजकोषीय घाटे को संघ और राज्य के लिये क्रमशः 3% और 2% से कम करना।
6. महत्त्वहीन वस्तुओं (Non Merit Goods) पर दी जा रही सब्सिडी को कम करना एवं वैसी छिपी हुई सब्सिडी भी घटाना जो समर्थ लोगों को अधिक लाभ पहुँचा रही है।
7. भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रयास करना।

- अगले वर्ष से लागू होने वाले जी.एस.टी. के पहले तीन वर्षों तक राज्यों को 100% क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। चौथे वर्ष में 75% और पाँचवें वर्ष में 50% क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
- राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिये स्वतंत्र कोष बनाने की भी सिफारिश।
- राज्यों को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनना होगा; खर्चों के फैसले के लिये राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिलें।
- हाईवे टोल निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिये स्वतंत्र नियामक बनाया जाए।
- घरेलू, सिंचाई तथा अन्य उपयोग के लिये पानी की कीमत तय करने के लिये जल नियामक प्राधिकरण बनाया जाए।
- बिजली-पानी का वितरण पूरी तरह मीटर के आधार पर किया जाए।
- बिजली अधिनियम में आवश्यक बदलाव किये जाएँ।
- 30 केंद्रीय योजनाएँ राज्यों को सौंपने की सिफारिश।

भारत के वित्त आयोग

क्रमांक	गठन का वर्ष	अध्यक्ष का नाम	क्रियान्वयन वर्ष	रिपोर्ट देने का वर्ष/तिथि
पहला	1951	के.सी. नियोगी	1952–57	1952
दूसरा	1956	के. संथानम	1957–62	1956 व 1957
तीसरा	1960	ए.के. चंदा	1962–66	1961
चौथा	1964	डॉ. पी.वी. राजामन्नार	1966–69	1965
पाँचवाँ	1968	महावीर त्यागी	1969–74	1968 व 1969
छठा	1972	ब्रह्मानंद रेड्डी	1974–79	1973
सातवाँ	1977	जे.एम. शेलेट	1979–84	1978
आठवाँ	1983	वाई.बी. चव्हाण	1984–89	1983 व 1984
नौवाँ	1987	एन.के.पी. साल्वे	1989–95	1988 व 1989
दसवाँ	1992	के.सी. पंत	1995–2000	26 नवंबर, 1994
ग्यारहवाँ	1998	ए.एम. खुसरो	2000–05	15 जनवरी, 2000; 7 जुलाई, 2000 एवं 30 अगस्त, 2000
बारहवाँ	2002	सी. रंगराजन	2005–10	30 नवंबर, 2004
तेरहवाँ	2007	विजय एन. केलकर	2010–15	30 दिसंबर, 2009
चौदहवाँ	2013	वाई.वी. रेड्डी	2015–20	15 दिसंबर, 2014

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।
- सरकार के खज़ाने में कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर है, उसे करापात कहते हैं।
- राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। सार्वजनिक व्यय, राजस्व तथा आर्थिक मामले वित्त मंत्रालय का विभाग है।
- बजट के हिसाब-किताब की जाँच भारतीय संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- मूल्य संवर्द्धन कर इनवॉयस विधि के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- केंद्र सरकार के संपूर्ण व्यय प्रारूप की समीक्षा हेतु व्यय सुधार आयोग का गठन 28 फरवरी, 2000 को किया गया।
- भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय और भारित व्ययों के लिये संसदीय मंज़ूरी विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- राजकोषीय घाटे की गणना में केवल 91 दिन की परिपक्वता वाली सरकारी हुंडियों (Treasury Bill) को ही सम्मिलित किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश में ही उगाहे गए ऋण आंतरिक ऋण कहलाते हैं।
- कर का अंतत: मौद्रिक बोझ किसके ऊपर है, इसे हम कराघात कहते हैं।
- जी.एस.टी. लागू करने के लिये 122वें संशोधन विधेयक, 2014 द्वारा संविधान में 101वाँ संशोधन 2016 किया गया तथा संविधान में नए अनुच्छेद-246(ए), 269(ए) और 279(ए) की व्यवस्था की गई है।
- ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी किये बिना दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि की जा सके। इनके उपभोग से कोई व्यक्ति इसलिये वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि वह उनकी कीमत चुकता नहीं कर सकता। ऐसी वस्तुएँ शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती हैं।
- शुद्ध निजी वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ हैं, जिनमें एक व्यक्ति के उपभोग में कमी करने पर दूसरे व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि हो, क्योंकि वह व्यक्ति उनकी कीमत चुकता कर सकता है।
- प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वर्ष 2011–12 के केंद्रीय बजट से शुरू किया गया था।
- वर्ष 2012–13 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटे को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
- सक्षम परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा व्यापार में सुगमता के लिये भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) का विस्तार और डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता अनुकूल पहलों और कारोबार सुगमता में भी मदद मिलेगी।
- मौद्रिक नीति आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित की जाती है तथा बैंकिंग प्रणाली आर.बी.आई. की नीतियों के तहत कार्य करती है।
- जी.एस.टी. के लागू होने से सी.बी.ई.सी. के तहत विभिन्न अप्रत्यक्ष कानूनों में सभी करदाताओं-आयातकों-निर्यातकों-डीलरों की संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी, जो फिलहाल 36 लाख है।
- पंजीकरण, भुगतान, सी.बी.ई.सी. को भेजे जाने वाले रिटर्न डेओ की प्रोसेसिंग के आई.टी. ढाँचे का वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) से एकीकरण ज़रूरी है। इसके अलावा 'सक्षम' अन्य मॉड्यूल, मसलन-ऑडिट, अपील तथा जाँच में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।
- 2011-12 के बजट में कर उत्प्लावकता में तीव्र गिरावट हुई, परंतु अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष कर राजस्व में तेज वृद्धि हुई।
- 14वें वित्त आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समाप्त करने की संस्तुति की है, क्योंकि यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से मेल नहीं खाती।
- भारत में आयकर, सार्वजनिक ऋण तथा वैट सरकार की सार्वजनिक आय के स्रोत हैं परंतु अर्थसहायिकी परिदान को सार्वजनिक व्यय में सम्मिलित किया जाता है।
- प्राथमिक घाटे का सर्वप्रथम वर्ष 1994–95 के बजट में प्रयोग करने वाले व्यक्ति वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।
- राजस्व तथा प्राथमिक घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार सबसे बड़ा है। सरकारी बजट घाटे की स्पष्ट तस्वीर राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करता है।
- बिक्री कर, वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगता है, यह अधिवासी निकाय को चुकाया जाता है। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे केंद्रशासित राज्यों पर यह कर लागू नहीं है।
- भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिये: **RAS (Pre) 2016**
   (a) संघीय उत्पादन शुल्क (b) निगम कर
   (c) आय कर (d) सेवा कर
   सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन-सा एक सही है?
   (1) a, b, d, c (2) b, d, a, c
   (3) b, c, a, d (4) d, a, b, c

2. हाल के वर्षों में संघीय सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की संरचना दर्शाती है कि– **RAS (Pre) 2013**
   (1) प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से अधिक है।
   (2) प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से कम है।
   (3) प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से लगभग बराबर है।
   (4) प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से दुगुनी है।

3. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा का लक्ष्य रखा गया? **RAS (Pre) 2013**
   (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत
   (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत
   (3) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत
   (4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का शून्य प्रतिशत
   *(**नोट:** इस प्रश्न का उत्तर एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2003 के अनुसार)*

4. कथन (A): वर्ष 2011-12 में कर उत्प्लावकता में तीव्र गिरावट हुई।
   कथन (R): वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व में तेज गति से वृद्धि हुई।
   इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिये तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये। **RAS (Pre) 2013**
   (1) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
   (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
   (3) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है।
   (4) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।

5. राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है- **RAS (Pre) 2013**
   (1) कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + विनिवेश से प्राप्तियाँ)
   (2) कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ
   (3) कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियाँ + विनिवेश से प्राप्तियाँ)
   (4) कुल व्यय - विनिवेश से प्राप्तियाँ

6. वर्ष 2012-13 के बजट में अनुदानों पर किये जाने वाले व्यय को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था- **RAS (Pre) 2013**
   (1) सकल घरेलू उत्पाद के 4.0 प्रतिशत तक
   (2) सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक
   (3) सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत तक
   (4) सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत तक

7. भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
   (1) योजना आयोग (2) वित्त आयोग
   (3) वित्त मंत्रालय (4) भारतीय रिजर्व बैंक

8. शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
   (1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना
   (2) उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना
   (3) अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना
   (4) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री/ऑफलोडिंग

9. ब्याज भुगतान एक आइटम है-
   (1) राजस्व व्यय का (2) पूंजीगत व्यय का
   (3) योजना व्यय का (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

10. सामान्य रूप से भारत में प्रति पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है?
    (1) राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिये।
    (2) केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिये।
    (3) केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिये।
    (4) केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिये।

11. केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है:
    (1) व्यापार से
    (2) बैंकिंग से
    (3) विदेशी निवेश से
    (4) करों से
12. यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है:
    (1) बजट घाटे के
    (2) राजकोषीय घाटे के
    (3) घाटे की वित्त व्यवस्था के
    (4) प्रभावी राजस्व घाटे के
13. आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है?
    (1) आय कर (2) व्यापार कर
    (3) सीमा कर (शुल्क) (4) उक्त में से कोई नहीं।
14. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
    (a) अनुषंगी लाभ कर
    (b) ब्याज कर
    (c) प्रतिभूति लेन-देन कर
    उपर्युक्त में से कौन-सा/से प्रत्यक्ष कर है/हैं?
    (1) केवल a
    (2) केवल a और c
    (3) केवल b और c
    (4) a, b और c
15. 'बजट' एक लेख-पत्र है-
    (1) सरकार की मौद्रिक नीति का
    (2) सरकार की वाणिज्य नीति का
    (3) सरकार की राजकोषीय नीति का
    (4) सरकार की मुद्रा बचत नीति का
16. भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है-
    (1) वित्त मंत्रालय द्वारा
    (2) योजना आयोग द्वारा
    (3) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा
    (4) भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा
17. भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है-
    (1) केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना।
    (2) वार्षिक बजट तैयार करना।
    (3) राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श करना।
    (4) संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिये नियमों का विनिधान करना।
18. निम्न में कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है?
    (1) आयकर
    (2) सार्वजनिक ऋण
    (3) वैट
    (4) अर्थसहायिकी परिदान
19. निम्नलिखित में से कौन-सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता?
    (1) सेवा कर (2) शिक्षा कर
    (3) सीमा कर (4) मार्ग कर
20. मूल्यवर्द्धित टैक्स (VAT) लगाया जाता है-
    (1) प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर
    (2) उत्पादन के अंतिम स्तर पर
    (3) उत्पादन के प्रथम स्तर पर
    (4) उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर
21. राजकोषीय घाटा है-
    (1) कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ
    (2) राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ
    (3) पूंजीगत व्यय - पूंजीगत प्राप्तियाँ - बाजार ऋण
    (4) बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व
22. निम्नलिखित में से कौन एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है?
    (1) व्यय
    (2) राजस्व
    (3) बैंकिंग
    (4) आर्थिक मामला

उत्तरमाला

1. (3)	2. (1)	3. (2)	4. (1)	5. (1)	6. (4)	7. (3)	8. (4)	9. (1)	10. (4)
11. (4)	12. (2)	13. (3)	14. (4)	15. (3)	16. (1)	17. (1)	18. (4)	19. (4)	20. (4)
21. (4)	22. (3)								

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15–20 शब्दों में दीजिये)

1. शून्य आधारित बजट की परिभाषा दीजिये।
2. वित्त आयोग क्या होता है?
3. लैफर वक्र
4. कर उत्प्लावकता
5. मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50–50 शब्दों में दीजिये)

1. वस्तु एवं सेवा कर की 'दोहरी संरचना' क्या है? क्या आप इस संरचना से सहमत हैं? टिप्पणी दीजिये।
2. करारोपण में प्रतिगामी, आनुपातिक तथा प्रगतिशील प्रणाली का अर्थ समझाइये।
3. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की उदाहरण सहित व्याख्या करें।
4. क्या राजकोषीय घाटे का बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? विवेचना कीजिये।
5. व्यय प्रबंधन आयोग के उद्देश्य क्या थे?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

1. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत दिये गए बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
2. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे?
3. जी.एस.टी. प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
4. घाटे के वित्त व्यवस्था क्या है? घाटे के वित्त पोषण के विभिन्न उपकरणों को बताइये।
5. भारत में बजट पारित करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का विवरण करें।

अध्याय
12

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार एक अपरिहार्य आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। कोई भी देश उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है इसलिये विदेशी व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार के बिना देश अपनी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी कमी को दूर करने के लिये विदेशी व्यापार की आवश्यकता का जन्म हुआ है। विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे पर निर्भरता तथा एक-दूसरे की भागीदारी एवं सहायता से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

12.1 विदेशी व्यापार : सामान्य परिचय *(Foreign Trade : General Introduction)*

"दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं।" किसी देश के विदेशी व्यापार से उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसके आकार का पता चलता है। विदेश व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्य कुशलता में वृद्धि कर आर्थिक उन्नयन करता है। खुली अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार की महत्ता वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी देश के लिये विदेशी व्यापार का महत्त्व निम्नलिखित रूप में है-

1. यह विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है।
2. विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है।
3. आवश्यक वस्तुओं के आयात तथा अधिशेष वस्तुओं के निर्यात से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है।
4. बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करता है।
5. मशीनरी, तकनीक एवं पूंजीगत आयात से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मज़बूती आती है।
6. विदेशी व्यापार किसी भी राष्ट्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कारक है।

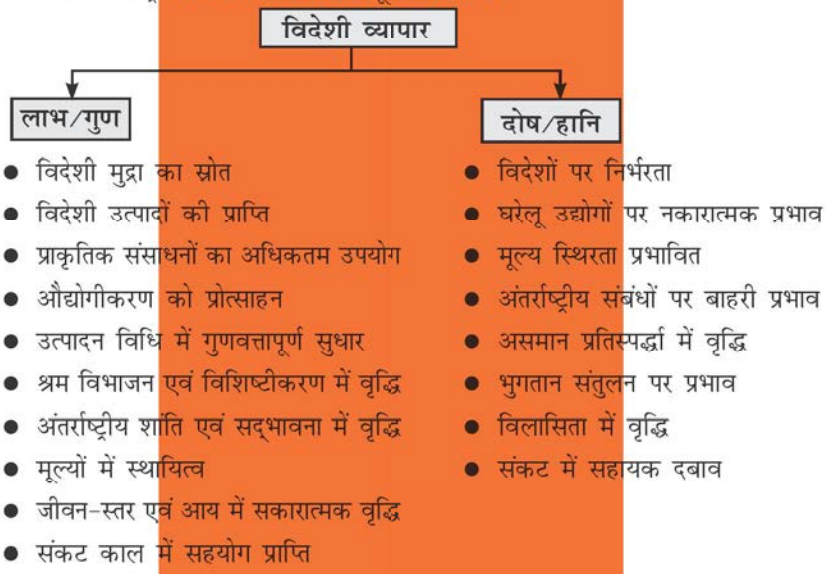

अध्याय
13

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं संवृद्धि में उस राष्ट्र के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक साधनों एवं क्रियाओं के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिये बाह्य या विदेशी व्यापार को अनुकूल रखे जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति के लिये निर्यात बढ़ाने एवं आयात निर्भरता कम करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। निर्यात में वृद्धि भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोष के लिये भी आवश्यक है। किसी भी देश के विदेशी लेन-देन का पूर्ण विवरण भुगतान संतुलन के माध्यम से ज्ञात होता है। भुगतान संतुलन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को चालू खाते एवं पूंजीगत खातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

13.1 भुगतान संतुलन : अर्थ एवं अवधारणा *(Balance of Payment : Meaning and Concept)*

किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष में उस देश और शेष विश्व के साथ उसके सभी व्यापार, जिनके मौद्रिक मूल्य की गणना हो सकती है, का क्रमबद्ध विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं, जिनमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन (Monetary Transactions) का लेखांकन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन (दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत) का समस्त विवरण उपलब्ध होता है।

कोई देश जब विश्व के अन्य देशों को वस्तु एवं सेवाएँ विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं तथा दूसरे देशों से जिन वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है उसे हम उसका आयात कहते हैं। आयात-निर्यात के दौरान दृश्य मदों एवं अदृश्य मदों के तहत प्रविष्टि की जाती है। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं (पर्यटन, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, शिक्षा) के आदान-प्रदान को सम्मिलित किया जाता हैं। पूंजी खाते के अंतर्गत बैंकिंग जमा, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, आप्रवासियों और एन.आर.आई. जमा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

चालू खाता (Current Account)	व्यापार खाता (Trade Account)	1. निर्यात (Export – X) 2. आयात (Import – M) 3. व्यापार शेष (Balance of Trade or X – M)
	अदृश्य खाता (Invisible Account)	4. अदृश्य शेष (Invisible Balance) (क) कारक सेवा व्यापार शेष (Factor service Balance of Trade) (i) निजी अंतरण/प्रेषण (Private Transfer/Remittance) (ii) निवेश आय (Investment Income) (ख) गैर-कारक सेवा व्यापार शेष (Non–Factor Service Balance of Trade)
	वस्तु एवं सेवा खाता (Goods and Service Account)	5. वस्तु एवं सेवा शेष (3 + 4 ख) (Goods and Service Balance)
	चालू खाता (Current Account)	6. चालू शेष (3 + 4 क + 4 ख) (Current Balance)

अध्याय
14

राजस्थान अर्थव्यवस्था : प्राथमिक क्षेत्र (Rajasthan Economy : Primary Sector)

प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ (वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, फसल, सिंचाई आदि) शामिल होती हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

14.1 कृषि *(Agriculture)*

राजस्थान के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मूलत: एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास का स्तर बहुत कम था। कृषि गतिविधियाँ भी गुणात्मक रूप से बहुत खराब और कृषि समुदायों की जीवन शैली काफी दयनीय थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को देखते हुए राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न बड़ी आबादी के लिये बेहतर जीवन शैली एवं कृषि को मानसून की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योगदान को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान

वर्ष/क्षेत्र	स्थिर कीमतों (2011-12) पर कृषि का योगदान ₹ करोड़ में प्रतिशत में
2011-12	119103.03 (28.56%)
2012-13	122642.17 (28.22%)
2013-14	133604.26 (28.93%)
2014-15	137305.89 (27.81%)
2015-16	136526.52 (26.16%)
2016-17	140402.58 (25.29%)
2017-18 (अग्रिम अनुमान)	145948.40 (24.61%)

विशेषताएँ

- वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 3.95% की वृद्धि हुई है।
- कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में वर्ष 2011-12 से 2016-17 का औसत योगदान 27.50% से घटकर वर्ष 2017-18 में 24.61% रह गया है।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान

वर्ष/क्षेत्र	प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान ₹ करोड़ में प्रतिशत में
2011-12	119103.03 (28.56%)
2012-13	136410.13 (28.90%)
2013-14	147798.47 (28.24%)
2014-15	153061.97 (26.23%)
2015-16	169666.68 (26.38%)
2016-17	180812.39 (25.50%)
2017-18 (अग्रिम अनुमान)	193855.58 (24.76%)

विशेषताएँ

- वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में कृषि क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर 7.21% की वृद्धि हुई है।
- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि (जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र) के योगदान में लगातार गिरावट एक नियमित विशेषता बन गई है। कृषि क्षेत्र का योगदान, जो कि वर्ष 2011-12 में 28.56% था, वर्ष 2017-18 में घटकर 24.76% संभावित है।

अध्याय
15

राजस्थान अर्थव्यवस्था: द्वितीयक क्षेत्र
(Rajasthan Economy : Secondary Sector)

'अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र' उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रणाली के जरिये अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसे 'औद्योगिक क्षेत्र' भी कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घ तीनों स्तर के उद्योग सम्मिलित होते हैं। सूक्ष्म एवं लघु स्तर में जहाँ कपड़े, मोमबत्ती, चमड़ा, हैंडलूम आते हैं। वहीं दीर्घस्तर में स्टील, भारी मशीनरी, रसायन, फर्टिलाइजर, जहाज आदि जैसे उद्योग शामिल होते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे द्वितीयक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

15.1 उद्योग *(Industry)*

उद्योगों के विकास से पर्याप्त रोजगार, आय सृजन एवं जीवन स्तर में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति देने में औद्योगिक विकास एक महत्त्वपूर्ण घटक है। राजस्थान की निवेशक अनुकूल नीतियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण, मेहमान-नवाजी, वृहद् प्राकृतिक संसाधनों; जिनका दोहन नहीं हुआ है, विश्वस्तर की चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं ने इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिये राजस्थान सरकार ने संस्थागत तंत्र बनाया है। औद्योगीकरण देश के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों के विस्तार तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के विभिन्न विभाग/निगम/एजेंसियाँ अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु कार्यरत हैं।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का मूल स्थिर (2011–12) कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान:

वर्ष/क्षेत्र	(करोड़ में)	(प्रतिशत में)
2015–16	164552.95	31.53%
2016–17	172212.66	31.03%
2017–18	179767.46	30.32%
(अग्रिम अनुमान)		

विशेषता: उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल मूल्य संवर्द्धन वर्ष 2011–12 से 2016–17 का औसत योगदान 31.15% से घटकर वर्ष 2017–18 में 30.32% रह गया है। वर्ष 2017–18 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन ₹ 1,79,767.46 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 4.39% की वृद्धि दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन का प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान:

वर्ष/क्षेत्र	(करोड़ में)	(प्रतिशत में)
2015–16	191431.23	29.74%
2016–17	201269.89	28.38%
2017–18	218051.09	27.83%

वर्ष 2017–18 में वर्ष 2016–17 की तुलना में उद्योग क्षेत्र में 8.22% की वृद्धि हुई है। शुद्ध राज्य मूल्य संवर्द्धन का स्थिर व प्रचलित कीमतों (2011–12) पर उद्योग क्षेत्र का योगदान:

अध्याय
16

राजस्थान अर्थव्यवस्था : सामाजिक क्षेत्र विकास (Rajasthan Economy: Social Sector Development)

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक क्षेत्र का विकास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्ध निवेशों में से एक है। इस दृष्टि से राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक गतिविधियों के विकास यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, पेयजल सुविधा आदि में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

16.1 शिक्षा *(Education)*

राष्ट्र और व्यक्तियों के कल्याण में सुधार करने में शिक्षा का बहुआयामी योगदान होता है। शिक्षा, सभी मायनों में विकास के महत्त्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। कोई भी देश मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा, स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है। उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से शिक्षा व्यक्तियों व समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा, लोगों में उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

प्रारंभिक शिक्षा *(Primary education)*

- प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में 35,664 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 20,744 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 13,983 प्रारंभिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें डाईस रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार 62.89 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2012-13	48.67	1.56
2013-14	45.01	1.58
2014-15	41.18	1.16
2015-16	42.50	1.17
2016-17	40.93	1.08

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2012-13	20.66	1.19
2013-14	20.38	1.15
2014-15	19.57	1.42
2015-16	21.39	1.38
2016-17	21.96	1.38

सर्व शिक्षा अभियान *(Sarva Shiksha Abhiyan)*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रवर्तित योजना 'सर्व शिक्षा अभियान' क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन में जन सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग अंतराल कम करने से संबंधित गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

राज्य में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ लागू की गई हैं:-

- राज्य में बाल अधिकार संरक्षण के लिये राज्य आयोग का गठन किया गया है।
- इस अधिनियम को राज्य में क्रियान्वित करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर राज्य शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है।

अध्याय
17

राजस्थान बजट 2018-19 : विश्लेषण
(Rajasthan Budget 2018-19 : Analysis)

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने सरकार का पाँचवाँ तथा आखिरी बजट 12 फरवरी, 2018 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट 'चुनावी बजट' के रूप में होने के कारण अनेक घोषणाओं को शामिल करता है। बजट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

बजट 2018–19 के प्रमुख बिंदु *(Main features of budget 2018–19)*

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा–
  - बिना उदय के प्रभाव के – 5454 करोड़ 85 लाख रुपए घाटा
  - उदय के प्रभाव सहित – 17454 करोड़ 85 लाख रुपए घाटा
- वर्ष 2018–19 का राजकोषीय घाटा 28011 करोड़ 21 लाख रुपए जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.98 प्रतिशत है।
- वर्ष 2018–19 के बजट में कुल राजस्व आय 151663 करोड़ 50 लाख रुपए रहने की संभावना है।
- वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 51816 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018–19 में 58099 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 12.12 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.18 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 21412.62 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.12 प्रतिशत है।

सड़क एवं परिवहन

- 766 करोड़ की लागत से ग्रामीण गौरव पथ योजना एवं मिसिंग लिंक योजना के द्वारा कुल 9891 ग्राम पंचायतों में से शेष रही 2021 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा।
- राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति विधानसभा क्षेत्र नवीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- 800 करोड़ की लागत से नाबार्ड योजना के तहत 5 हज़ार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनरुत्थान और नवीकरण करना।
- 2 हज़ार 274 करोड़ की लागत से एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं विश्व बैंक ऋण पोषित योजना से जोधपुर, नागौर और पाली में 882 किमी. सड़क निर्माण।
- 1 हज़ार 622 करोड़ की लागत से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के द्वितीय चरण में 3 हज़ार 464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के पुनरुत्थान एवं मरम्मत के कार्य किये जाएंगे।
- 15 करोड़ 44 लाख की लागत से झालावाड़ में सारोला बाईपास निर्माण, 32 करोड़ की लागत से सुसनेर-सुवांसरा सड़क निर्माण, 9 करोड़ 93 लाख की लागत से नेवच नदी पर विंटेज कॉजवे निर्माण सहित चुरेलिया से सन्याघाट तक 4.5 किमी. सड़क निर्माण।
- 10 करोड़ की लागत से बारां ज़िले में रामगढ़ माताजी के परिक्रमा पथ को चौड़ा करना।
- रामदेवरा भजन गायक रिखियों की ढाणी को रामदेवरा से जोड़ने के लिये 17 किलोमीटर की सड़क एवं श्रीगंगानगर ज़िला मुख्यालय से सार्दुलशहर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण।
- परिवहन कार्यालयों के लाइसेंस एवं वाहन संबंधी सेवाओं के अग्रिम कार्यालयी केंद्रों के निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करना एवं ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण संबंधी संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया को पेपर रहित करना।

अध्याय
18

केंद्र व राजस्थान सरकार की योजनाएँ (Central & Rajasthan Government Schemes)

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन नीचे किया गया है।

18.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ *(Central Government Schemes)*

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना *(Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)*

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।
- यह योजना वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू है।
- प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि), कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप व मौसमी गतिविधियों के कारण प्रभावित फसल, बुआई व कटाई के पश्चात् नुकसान को इस श्रेणी में रखा गया है।
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% तथा रबी फसल के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है।
- 2018–19 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन ₹ 13,000 करोड़ रुपए है।

कृषि डाक प्रसार सेवा *(Krishi Dak Prasar Seva)*

- यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिये भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुँचाए जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित गाँवों के किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केंद्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

किसान कॉल सेंटर *(Kisan Call Center)*

- कृषि में आई.सी.टी. (Information and communication technology) को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिये देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ्री नंबर-18001801551 जारी किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन *(Rashtriya Gokul Mission)*

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2014 को देशी गायों के संरक्षण तथा उनकी नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। यह परियोजना 'राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम' का हिस्सा है। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

अध्याय
19

लेखांकन (Accounting)

आधुनिक परिदृश्य में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र एवं रूप बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। इन आर्थिक क्रियाओं के संचालन के उद्देश्य के लिये यह आवश्यक होता है कि उससे संबंधित लाभ-हानि, सफलता-असफलता एवं स्थिति का ज्ञान हो। इसके लिये पुस्तपालन (बहीखाता) तथा लेखांकन (Book - Keeping and Accounting) की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। आज के तेज़ी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखांकन प्रक्रिया को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

19.1 लेखांकन का अर्थ *(Meaning of Accounting)*

लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आँकड़े उपयोगकर्त्ताओं तक संप्रेषित किये जा सकें। दूसरे शब्दों में, "व्यापारिक परिणामों को जानने के लिये लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने संबंधित कार्य को **लेखांकन** कहा जाता है।"

वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउटेंट्स (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA) ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है– "लेखांकन का संबंध उन लेन-देनों एवं घटनाओं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली रूप से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है।"

उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन एकाउंटिंग एसोसिएशन (AAA) ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया– "लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्त्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।"

1970 में एकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए.आई.सी.पी.ए. ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएँ उपलब्ध कराना है, जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

लेखांकन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तीन को सम्मिलित किया जाता है–

अभिलेखन (Recording)

किसी भी लेन-देन को पहली बार बही या खाता पंजी में लिखे जाने की क्रिया को **अभिलेखन** कहा जाता है। इसे **रोजनामचा** (Journal) भी कहा जाता है।

वर्गीकरण (Classification)

बही में अभिलेखित की गई मदों को अलग-अलग भागों में विभाजित कर लिखे जाने को **वर्गीकरण** कहा जाता है। वर्गीकरण को खाता (Ledger) भी कहते हैं।

संक्षेपण (Summarising)

वर्गीकृत मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को **संक्षेपण** कहा जाता है। संक्षेपण को **परीक्षा सूची** (Trial balance) भी कहते हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456